



छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(ISO 9001 : 2015 Certified)

प्रथम तल उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1 तेलीबांधा, रायपुर, 492006 (छत्तीसगढ़)

CIN : U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GSTN : 22AABCM6288N5ZY

दूरभाष : कार्यालय- 6002071-73, फ़ैक्स: 0771-2583794

Website: www.csidc.in Email address: csidc_raipur@yahoo.com, csidc.cg@gov.in

ई-निविदा के माध्यम से भू-खण्ड आबंटन के नियम एवं शर्तें

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-58/2024/11/6 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015" में किये गये संशोधन के परिपालन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उपक्रम के रूप में सीएसआईडीसी द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगिक एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में उपलब्ध भू-खण्डों का आबंटन "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015" (यथा संशोधित दिनांक 17.09.2025 तक) में वर्णित मूल प्रावधानों के अंतर्गत ई-निविदा के माध्यम से पात्र आवेदनों का परीक्षण कर भू-खण्डों के आबंटन हेतु अनुशंसित किया जाएगा।

अ. औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में भू-खण्डों एवं उनके भू-प्रब्याजि की निर्धारित दरें (ऑफसेट दर) का विवरण : -

औद्योगिक क्षेत्र District : Dhamtari, G-Jamgaon, Plot Number : 7, 1125.00 Sqm.

- टीप:-
1. उपलब्ध भू-खण्ड यथास्थिति "जहां है-जैसा है" के आधार पर आबंटित किया जाएगा। (आवेदन से पूर्व निरीक्षण का सुझाव है।)
 2. आबंटन के उपरांत इस संबंध में कोई आपत्ति ग्राह्यता योग्य नहीं होगी।
 3. प्रत्येक भू-खण्ड का इस निगम के द्वारा निर्धारित भू-प्रब्याजि (ऑफसेट दर) भू-खण्ड के विवरण के साथ दर्शित है। ऑफसेट दर से कम का कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

ब. आबंटन की समयावधि -

"छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 (यथा संशोधित 17.09.2025 तक)" की कंडिका 2.12 के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु वर्णित समयावधि के लिए आबंटित की जाएगी।

स. आबंटन की पात्रता -

उपरोक्त भू-खण्ड के आबंटन हेतु पात्रता के लिये सामान्य नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक की आयु आवेदन दिनांक पर 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक होगा।
3. आवेदक को आयकर विभाग द्वारा जारी "पैन" (Permanent Account Number) का धारक होना चाहिये।
4. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ पहचान के लिये आधार पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

5. किसी फर्म की ओर से आवेदन किये जाने की स्थिति में फर्म के संबंध में पार्टनरशिप डीड एवं फर्म पंजीयन प्रमाणपत्र, कंपनी होने की स्थिति में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की ओर से जारी निगमन प्रमाणपत्र एवं बायलॉज की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। साथ ही आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकृत हस्ताक्षरी होने संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक “भारतीय न्याय संहिता” के अंतर्गत किसी अपराधिक मामले में दंडित नहीं होना चाहिये।
7. आबंटन हेतु प्रत्येक आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि आवेदक को सरकार के किसी भी विभाग/संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है तथा इस विषय में स्वयं/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

द. ऑनलाईन ई-निविदा की अन्य नियम एवं शर्तें :-

1. औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भू-खण्डों का आबंटन “छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015” (यथा संशोधित दिनांक 17.09.2025 तक) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
2. ऑनलाईन ई-निविदा वेबसाइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर निर्धारित समयावधि हेतु इन नियमों के अंतर्गत भरी जा सकेगी।
3. उपरोक्त निविदा दो चरण में होंगी – तकनीकी एवं वित्तीय। तकनीकी पात्रता में सफल होने वाले पात्रों का ही वित्तीय चरण विचारणीय होगा।
4. कोई भी आवेदक एक से अधिक भू-खण्ड के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है किंतु प्रत्येक भू-खण्ड के लिए अलग – अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक को भू-खण्ड आबंटन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी उद्यम आकांक्षा पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। उद्यम आकांक्षा के आधार पर आवेदक को आवेदन प्रपत्र भरना होगा।
6. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
 - परियोजना प्रतिवेदन (Project Report)
 - Tentative Layout (आवेदित भू-खण्ड अनुसार)
 - उद्यम आकांक्षा (Udyam Akanksha)
 - आधार की प्रति (Copy of Adhaar)
 - पैनकार्ड (PAN Card)
 - पार्टनरशिप डीड (भागीदारी फर्म होने पर) (Partnership Deed)
 - फर्म रजिस्ट्रेशन (भागीदारी फर्म होने पर) सर्टिफिकेट (Registration of Firm)
 - MOA (Memorandum Of Association) (कंपनी होने पर)
 - AOA (Article of Association) (कंपनी होने पर)
 - निगमन प्रमाण पत्र (Incorporation Certificate) (कंपनी होने पर) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - उपरोक्त (स) (7) अनुसार स्वयं के द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।

- पावर ऑफ एटॉर्नी की प्रति (यथा आवश्यक)
 - वृहद श्रेणी के उद्योगों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी IEM (यथा आवश्यक)
7. ऑनलाईन आवेदन फार्म में दर्शित आवेदन शुल्क (जीएसटी सहित) जमा करना अनिवार्य होगा। "Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd." के नाम पर आवेदित भू-खण्ड के निर्धारित ऑफसेट दर के 1 प्रतिशत के बराबर सुरक्षा निधि ऑनलाईन Payment यथा NEFT, RTGS, Internet Banking, Debit/Credit Card के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क की राशि का न तो समायोजन किया जाएगा और ना ही राशि वापस की जाएगी। किन्तु असफल आवेदनों की सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी।
 8. निविदा की तिथियां यथा निविदा जमा करने की तिथि व समय, निविदा खोले जाने की तिथि व समय आदि का पृथक से <https://eproc.cgstate.gov.in> वेबसाइट में उल्लेख किया गया है। इसमें किसी प्रकार के संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट पर ही अपडेट की जाएगी।
 9. निविदा प्रपत्र संपूर्ण रूप से भर कर संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय में अपलोड/जमा करना होगा। निर्धारित तिथि व समय के बाद प्रस्तुत निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा।
 10. ई-निविदा केवल वेब साइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर निविदा आमंत्रण तिथि से निर्धारित 21 दिवस की समयावधि तक आमंत्रित की जावेगी एवं उपलब्ध औद्योगिक भू-खण्ड हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित भू-प्रब्याजि (ऑफसेट दर) से कम राशि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 11. निगम द्वारा आवेदन एवं संलग्नक के परीक्षण भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 (यथा संशोधित 17.09.2025 तक) के अंतर्गत किया जाएगा व स्वीकृति के उपरांत उच्चतम दर (H-1) के आधार पर भू-खण्ड आबंटन हेतु पात्र आवेदक का चयन किया जाएगा एवं H-1 के चयन उपरांत छत्तीसगढ़ भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 (यथा संशोधित 17.09.2025 तक) में वर्णित नियमानुसार भूमि आबंटन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।
 12. आवंटितियों को शासन द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम के परिशिष्ट-3 में वर्णित अपात्र गतिविधियों एवं परिशिष्ट-2 में वर्णित अतिप्रदुषणकारी एवं खतरनाक श्रेणी के उद्योगों के लिये आबंटन नहीं किया जाएगा।
 13. आबंटनकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा, उच्चतम दर निविदा, आवंटन को बिना कारण बताए निरस्त कर सकेगा।
 14. निविदा के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निविदादाता/आवंटिति को सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस विषय में कोई भी न्यायालयीन वाद छत्तीसगढ़ के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार अंतर्गत होगा।
 15. भूमि आबंटन की विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेबसाइट www.csidc.cgstate.gov.in का अवलोकन करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

कार्यपालक संचालक
सी.एस.आई.डी.सी.

AFFIDAVIT

[on Rs. 100/- (Rupees one Hundred only) Stamp Paper, duly Notarized]

I.....S/o.....
.....Aged..... Yearsresidentof
.....

(address.....)

(For and on behalf of), do here
by and herewith solemnly affirm/state on oath that :-

1. I am Applying for allotment Plot No in Industrial Area
District All documents and information's furnished are correct in all
respects to the best of my knowledge and belief.
2. I/We read carefully & understood the entire Tender document including Addendum if any
along with important instructions to the tenderers submitting the tender online.
In case at any stage whatsoever at a later date it is found that we have given false
documents/information, we clearly understand that our work shall be liable to be cancelled
and Earnest Money/Performance Guarantee/Security deposit etc. all are liable to be
forfeited by CSIDC and in such an eventuality I/We shall have no right or claim for any
damages/compensation from CSIDC on this account. Further in such case I/We may also
be debarred by CSIDC for further participation in the concerned work of CSIDC.
3. I have not suppressed or omitted any information as required.

I do here by and herewith solemnly affirm/state on oath that all information furnished
regarding work experience is correct.
4. I do here by and herewith solemnly affirm/state on oath that all information furnished regarding
Technical persons employed with me/our company/or to be employed, when work is allotted to
me/our firm/our company is correct.
5. I do hereby and herewith solemnly state that our firm has not been "blacklisted" by Central/State
Government / any other Agency of any Government / PSU.
6. I hereby authorize the CSIDC Officials to get all the documents verified from appropriate
source(s).

Deponent

(.....)
Authorized signatory/
For and on behalf of

(affix seal of Firm/Company/Proprietor)

Verification

I _____ S/o _____ do here by affirm that contents stated in para1 to 6 above
are true to the best of my knowledge and believe and are based on my/our record.
Verified that this on _____ at (Place) Raipur.
Notary with date (_____)

Deponent

(.....)
Authorized signatory/
For and on behalf of

(affix seal of Firm/Company/Proprietor)

POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING OF PROPOSAL
[on Rs. 100/- (Rupees one Hundred only) Stamp Paper, duly Notarized]

Know all men by these presents, We, _____ (name of the firm and address of the registered office) do hereby irrevocably constitute, nominate, appoint and authorise Mr. / Ms (Name), son/daughter/wife of _____ and presently residing at _____, who is [presently employed with us/ and holding the position of _____], as our true and lawful attorney (hereinafter referred to as the “Attorney”) to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things as are necessary or required in connection with or incidental to submission of our proposal for **Allotment of Plot in Industrial Area.** by the Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited,(CSIDC) (the “Authority”) including but not limited to signing and submission of all applications, Proposal and other documents and writings, participate in bidders' and other conferences and providing information / responses to the Authority, representing us in all matters before the Authority, signing and execution of all contracts including the Service Agreement and undertakings consequent to acceptance of our Bid, and generally dealing with the Authority in all matters in connection with or relating to or arising out of our proposal for the said Project and/or upon award thereof to us and/or till the entering into of the Lease Agreement with the Authority.

AND we hereby agree to ratify and confirm and do hereby ratify and confirm all acts, deeds and things lawfully done or caused to be done by our said Attorney pursuant to and in exercise of the powers conferred by this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our said Attorney in exercise of the powers hereby conferred shall and shall always be deemed to have been done by us.

IN WITNESS WHEREOF WE, _____, THE ABOVE NAMED PRINCIPAL HAVE EXECUTED THIS POWER OF ATTORNEY ON THIS _____ DAY OF _____, 20**

For _____

(Signature)

(Name, Title and Address)

(affix seal of Firm/Company/Proprietor)